05 राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छत्तीसगढ़ रायपुर

अविभाजित म.प्र. राज्य से नव निर्मित छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिनांक 1 नवंबर 2000 से ही छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र (असाधारण) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.-4/सा.प्र.वि./2000 के अनुसार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अस्तित्व में आ गया। ब्यूरो का प्रशासनिक नियंत्रण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के अधीन है। ब्यूरो का मुख्यालय तथा विवेचना इकाई, रायपुर मुख्यालय में है, इसके क्षेत्राधिकार में सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्र आता है।

इस संगठन के कार्य का संचालन पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इस पद पर भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री मुकेश गुप्ता कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यालय रायपुर में एक पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुमार कुजूर पदस्थ है।

अपराधों का अन्वेषण करने का अधिकार छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक-6/साप्रवि/2000/एफ क्रमांक-35-368-88-सी-एक, दिनांक 01.11.2000 से प्राप्त हैं। उक्त अधिसूचना में वर्णित विभिन्न अधिनियमों के अपराधों का अन्वेषण करने का अधिकार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छत्तीसगढ़ में पदस्थ पुलिस अधिकारियों को प्राप्त है।

ब्यूरो में पदस्थ पुलिस अधिकारियों को अपराधों के अन्वेषण के संबंध में प्राप्त उक्त अधिकार के अलावा मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग (सी-अनुभाग) के परिपत्र क्रमांक-35-292/87/सी-1, दिनांक 18 अगस्त 1988 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अनुसार यह जांच करने का भी अधिकार है कि किसी प्रकरण में अपराध घटित हुआ है, या नहीं, सूक्ष्म रूप से ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में भारतीय दण्ड संहिता 1860 (क्रमांक-45 सन् 1860) की धारा 120-ख, 124, 124-क, 153-क, 153-ख, 167, 186, 197, 198, 201, 203, 204, 212, 213, 218, 295, 295-क, 296, 297, 298, 330, 331, 332, 333, 353, 406, 407, 408, 409, 411, 419, 420, 429, 431, 436, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 477-क, 489-क, 489-ख, 489-घ तथा 505.

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (क्रमांक 49 सन् 1988)/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 (क्रमांक 2 सन् 1947)

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (क्रमांक 10 सन् 1955)

(ग) आयुध अधिनियम 1959 (क्रमांक 54 सन् 1959)

(घ) भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 (क्रमांक 4 सन् 1884)

(ड.) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 (क्रमांक 6 सन् 1908)

(च) दी नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985

(क्रमांक 61 सन् 1985)

(छ) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995)

(ज) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976

(क्रमांक 52 सन् 1976)

(झ) मध्यप्रदेश एक्साइज एक्ट 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915)

(¥) मध्यप्रदेश इन्टरटेनमेंट ड्यूटी एंड एडवरटाईजमेंट टैक्स एक्ट 1936

(क्रमांक 30 सन् 1936)

(ट) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956)

(ठ) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 (क्रमांक 74 सन् 1952)

(ड) खाद्य अपमिश्रण (निवारण) अधिनियम 1954 (क्रमांक 37 सन् 1954)

(ढ) मध्यप्रदेश बांट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम 1959 (क्रमांक 14 सन् 1959)

(ण) भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927)

(त) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (क्रमांक 18 सन् 1947)

(थ) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978

(क्रमांक 43 सन् 1978)

(द) मध्यप्रदेश विर्निदिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 (क्रमांक 36 सन् 1982)

(ध) उपरोक्त मद (क) से (ध) में वर्णित अपराधों के संबंध में आपराधिक षड़यन्त्र, दुष्प्रेरण तथा प्रयत्न के अपराध, जहां ऐसा आपराधिक षड़यन्त्र, दुष्प्रेरण तथा प्रयत्न भारतीय दण्ड विधान 1860 के तहत् दण्डनीय है।

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2017 में संपादित कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

प्रकरण	दि0 01.01.17 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या	दि. 01.01.17 31.12.17 तक पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या	योग	दि. 01.01.17 से 31.12.17 तक निराकृत प्रकरणों की संख्या	31.12.17 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या
आपराधिक प्रकरण	54	09	63	03	60
प्रारं. जांच प्रकरण	132	18	150	06	144

न्यायालयीन प्रकरण	75	02	77	06	71

उपरोक्त 60 लंबित आपराधिक प्रकरणों में से 01 प्रकरण चालान पेश हेतु लंबित है।

छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष न्यायालयों में कुल 77 प्रकरण निर्णय हेतु विचाराधीन थे, इन प्रकरणों में प्रभावी ढंग से पैरवी कराया गया। ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समंस एवं वारंटों की यथासंभव तामीली करवाई गई। वर्तमान में कुल 71 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है

ब्यूरो के मुख्यालय एवं इकाई के लिये वर्तमान में 100 स्वीकृत पदों में से मात्र 63 पद के लिये अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ होकर कार्यरत् हैं तथा 37 पद वर्तमान में रिक्त हैं, जिसमें विधिक सलाहकार, उप संचालक अभियोजन, उप पुलिस अधीक्षक, डाटा एन्ट्री आॅपरेटर, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक पद सम्मिलित हैं। ब्यूरो में उपलब्ध एवं रिक्त पद की जानकारी निम्नानुसार है:-

स्वीकृत, उपलब्ध एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	पुलिस महानिरीक्षक	1	1	-
2	पुलिस अधीक्षक	1	1	-
3	विधिक सलाहकार	1	-	1
4	उप संचालक अभियोजन	1	-	1
5	लेखा अधिकारी	1	1	-
6	उप पुलिस अधीक्षक	4	3	1
7	जिला लोक अभि0 अधिकारी	3	3	-
8	निरीक्षक	12	10	2
9	सहायक उप निरीक्षक	1	-	1
10	प्रधान आरक्षक	11	7	4
11	आरक्षक	21	14	7
12	आरक्षक (चालक)	3	2	1
13	आरक्षक (सहायक)	8	4	4
14	आरक्षक (एम)	1	1	-
15	अनुभाग अधिकारी	1	1	-
16	सहायक अधीक्षक	1	1	-
17	शीघ्रलेखक	2	1	1
18	सहायक ग्रेड 2	1	1	-
19	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	9	4	5
20	स्टेनो टायपिस्ट	1	-	1
21	सहायक ग्रेड-3	3	1	2
22	वाहन चालक	5	5	-
23	चैकीदार	1	1	-

24	स्वीपर	1	1	–
25	वाहन चालक (कलेक्टर दर)	6	–	6
	योग	100	63	37

बजट :- इस कार्यालय में प्राप्त बजट आयोजनेत्तर बजट के अंतर्गत आता है। प्राप्त बजट वेतन, भत्ते एवं सामान्य कार्यालय व्यय के अंतर्गत होता है। आयोजना मद में किसी प्रकार का बजट आबंटन प्राप्त नहीं हुआ है। शासन द्वारा मितव्ययिता से संबंधित जारी आदेशों के अंतर्गत ही व्यय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल 7,98,50,000=00 रूपये का बजट प्राप्त हुआ है, जिसमें से माह नवम्बर 2017 तक 4,02,98,281=00 रूपये व्यय किया जा चुका है। यह प्राप्त बजट का 50.47 प्रतिशत है। किसी भी मद में आबंटन से अधिक व्यय नहीं किया गया है।